

311

419

(रवण्डपीठ -रीवा)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, म०प्र०

निगरानी 2142-II-15

ज्योति गौतम पुत्री श्री रामानंद गौतम, उम्र 19 वर्ष, पेशा-विद्याध्ययन,

निवासी-नईबस्ती चुनहा, तहसील-नागौद, जिला-सतना, म०प्र०-अपीलार्थी

बनाम्

- 1:- श्रीमती रानी गर्ग पत्नी स्व०श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग,
- 2:- आशुतोष कुमार गर्ग तनय स्व०श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग,
- 3:- अविनेश गर्ग तनय स्व०श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग, नाबालिग सरपस्त मां श्रीमती रानी गर्ग पत्नी स्व०श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग सभी निवासी-जवाहरनगर सतना, जिला सतना, म०प्र०
- 4:- शैलेन्द्र पाण्डेय तनय श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी-धवारी सतना,

जिला सतना, म०प्र०-----प्रत्यर्थीगण

रिवीजन अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०संहिता-1959

विरुद्ध आदेश दिनांक-06.04.2015 को एस.डी.ओ.

रघुराजनगर राजस्व प्रकरण क्र०-67/अपील/13-14

एवं आदेश दिनांक-12.06.2014 तहसीलदार

रघुराजनगर राजस्व प्रकरण क्रमांक-117ए6/13-14

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका निम्नलिखित पुनरीक्षणप्रस्तुत करती है :-



- 1:- यह कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रश्नाधीन अपील में पहले अपील को सक्षम मानते हुए गृहण कर लिया था, फिर अचानक इन्होंने ऐसा यूटर्न लिया जिसका कोई आधार नहीं था। तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग02142-II / 2015

जिला-सतना

ज्योति गौतम / रानी गर्ग

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र अवस्थि उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	<p style="text-align: right;">  </p>